



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14112022-240246
CG-DL-E-14112022-240246

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5039]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 14, 2022/कार्तिक 23, 1944

No. 5039]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 14, 2022/KARTIKA 23, 1944

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2022
(आयकर)

का.आ. 5258(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा का.आ. 2752(अ) दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या 50/2014 में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामतः:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची-IV में, क्रमांक 106 - क्रमांक 111 के लिए और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों से क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

क्रमांक	आयकर प्राधिकारी का पद	मुख्यालय	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
"106	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, मुंबई-41	मुंबई	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, मुंबई-26

क्रमांक	आयकर प्राधिकारी का पद	मुख्यालय	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
107	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, मुंबई-41	मुंबई	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, मुंबई-30
108	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, मुंबई-41	मुंबई	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, मुंबई-31
109	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, मुंबई-42	मुंबई	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, मुंबई-32
110	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, मुंबई-42	मुंबई	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, मुंबई-33
111	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, मुंबई-42	मुंबई	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, मुंबई-34".

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना संख्या 124/ 2022 फा.सं.187/3/2020-आईटीए-1]

सौरभ जैन, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 50/2014 दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग- II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्या का.आ. 2752(अ) के तहत प्रकाशित किया गया था और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग - II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 2903 (अ) दिनांक 27 अगस्त, 2020 के तहत प्रकाशित अधिसूचना सं. 69/2020 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।